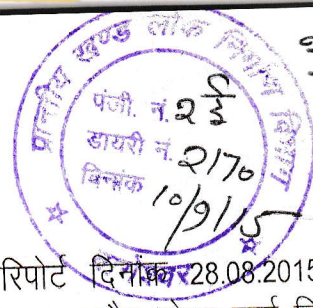


आदेश



अति सं. 1

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 28.08.2015 के आधार पर जनपद बागेश्वर में काण्डा-जेठाई से गुरना-बागेश्वर-दफौट मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.82 है० की दुगनी अवनत वन भूमि 3.64 है० जो ग्राम कर्मी पटवारी क्षेत्र कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी 9(3)ख 2 में खाता संख्या 156 के पैमाईशी खेत नम्बर 16133 रकवा 3.104 है०, खेत नं० 16134 रकवा 0.860 मध्ये 0.536 है०, कुल रकवा 3.64 है० श्रेणी 9(3)ख (अन्य प्रकार के वन) के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(11)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 176/X-4-15/ 1(81)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 3.64 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 33 / छब्बीस - 19 वन / 2014-15 दिनांक 28 / 09 / 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2-अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर।
- 3-उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 4-तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

वन भूमि सं. 33
28.09.15
10/9

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।